

27.11.2024

2024
17-01-2025

2024 736

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
प्रहलाद बनाम औमप्रकाश आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 520 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
20.11.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 28.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">OR</p> <p>24/11/2024</p> <p>प्रहलाद कलक्टर उपखण्ड RA 88, 53 आर.टी.एक्ट कोर्ट में पत्रावली प्रस्तुत गस्त वाकी दिनांक 27.11.2024 का पत्रावली 27/11/2024</p>	
15-11-2024	<p>वकील प्रतिवादी ने आवना-पत्र भिजवा देने की पेश करने पर प्रजावमी को पेशी में निज उपखण्ड अहकाम उपस्थित वकील प्रतिवादी को पत्रावली के लिए वकील कल्या सुन्दर उपस्थित करके पत्रावली पेश किया जिसे शामिल फाइल डिफा 1/17 प्रजावमी कोर्ट स्टेट उपखण्ड अहकाम 17.11.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">OR</p>	
17.11.2024	<p>प्रहलाद कलक्टर उपखण्ड अहकाम स्टेट उपखण्ड अहकाम 17.11.2024 को पेश करने पर प्रजावमी का अवलोकन किया गया प्रजावमी पर उपखण्ड डिफा 1/17 वकील प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद वकील डिफा 1/17 किया जाता है। पूर्व दिवस सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाइल डिफा 1/17 प्रजावली नम्बर के अन्तर्गत प्रजावली 17.11.2024 तारीख तक वकील उपखण्ड फाइल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">OR</p>	

